

भाग-5

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत आधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है

18.	राज्य सरकार की सिफारिशें। (उपयुक्त भग-2 या भाग-3 या भाग-4 में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	Recommended for approval.
-----	---	---------------------------

तिथि: 24.5.2017

स्थान:

हस्ताक्षर
(नाम साफ अक्षरों में पदनाम)
वाई०एस०के० सोहनलाल
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ ।